

## **Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members-contd.**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से, मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिसका आशय पेट्रोलियम कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 3250 रुपये/एमटी से बढ़ाकर 6000 रुपये/एमटी करने के लिए दिनांक 1 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. 17/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधन करना है, की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूँ।

**18.30 hrs**